Office of The District Magistrate, Gautam Budh Nagar

Ref: 1249/NGT-64/2022/2024 **Date:** 11-01-2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Report in compliance of the order dated 09.01.2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 908 of 2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Versus Ministry of Environment Forest & Climate Change & Ors.

Sir,

Please refer to the order passed by Hon'ble National Green Tribunal on dated 09.01.2024 in Original Application No. 908 of 2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Versus Ministry of Environment Forest & Climate Change & Ors. In said matter, it is directed by Hon'ble NGT for producing the record regarding encroachment on said land reserved for green belt. This is humbly submitted that letter has been sent to Chief Executive Officer, Greater Noida Industrial Development Authority, Greater Noida for taking necessary action against encroachment on said green belt and Sub Divisional Magistrate (Sadar) has been nominated for enforcement work in coordination with Greater Noida Industrial Development Authority, Greater Noida, copy of same is being annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely

Enclosure- As above

11/01/24

(Manish Kumar Verma)
District Megistrate
Gautam Buddh Nagar

Brief note regarding action taken in the matter of O.A. No. 908/2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Vs Ministry of Environment Forest & Climate Change &Ors.

- In compliance to the order dated 11.09.2023 passed by Hon'ble NGT in said matter, Compliance report regarding service of notices was submitted to Hon'ble Tribunal by District Magistrate vide letter no. 715/NGT O.A.- 908/NGT-64/2023, dated 21.09.2023.
- Further, it was directed by Hon'ble Tribunal vide order dated 29.09.2023 that Action Taken Report by CEO, GNIDA and District Magistrate, Gautam Budh Nagar be filed by within three months by email.
- As per averments made by petitioner, Greater Noida Industrial Development Authority has allotted plot no. A-1 with notified green area/belt falling between plot no. 12 and plot no. 22, letters have been sent by District Magistrate vide letter no. 1151/NGT-64/23, dated 15.12.2023 and 1226/NGT-64/23, dated 05.01.2024 to Chief Executive Officer, Greater Noida Industrial Development Authority for providing detailed report in this matter, Report is awaited. Copy of same is attached.
- In reference to the letter no. 1211/NGT-64/23, dated 02.01.2024 of Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Greater Noida, Greater Noida Industrial Development Authority has provided some information regarding encroachment on said green belt. According to which, encroachment was found on approx. 253 sqm on undeveloped land reserved for green belt and action to remove/ sealing of said encroachment is to be done by Greater Noida Industrial Authority.
- Accordingly, status report has been filed before Hon'ble Tribunal by District Magistrate, Gautambuddh Nagar vide letter no. 1227/NGT-64/23, dated 05.01.2024, copy of same is annexed.
- In view of status report, relevant paras of the order dated 09.01.2024 passed by Hon'ble NGT are reproduced below: -

> *"……….9. In the peculiar facts and circumstances of the case and also inaction on the part of the concerned administrative officers despite pendency of the matter for more than one year, we consider the presence of the DM, Gautam Budh Nagar, the CEO, GNIDA and the Chief Town Planner, Gautam Budh Nagar before this Tribunal to be essential for producing the record as to when and in which manner encroachment was made on land reserved for green belt; whether the concerned officials submitted any report regarding such encroachment; whether any action was initiated for removal of such encroachment and what are the reasons for delay in taking of appropriate action for removal of the encroachments made on the land reserved for green belt. Accordingly, they are directed to appear before this Tribunal physically on 12.01.2024.*
>
> *List the matter for further consideration on 12.01.2024……"*

Copy of same is hereby attached.

- Further, letter has been sent by District Magistrate, Gautambuddh Nagar to CEO, Greater Noida Authority to take action against said encroachment on land reserved for green belt, copy of same is annexed.

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 1246/NGT-64/2022/2023 दिनांक : 11-01-2024

<u>मा0 एन0जी0टी प्रकरण/समयबद्ध</u>

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या–908/2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–908/2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

"........ 7. We find the explanation to be wholly unsatisfactory as the CEO, GNIDA was required to take action promptly immediately after passing of the order by this Tribunal in the month of September 2023. We find no justification for delay in taking of such action. ***We express our displeasure regarding unreasonable delay in taking appropriate action on the part of the CEO, GNIDA.***

8. In Bangalore Medical Trust v. B.S. Muddappa, (SC)1991(4) SCC 54Hon'ble Supreme Court considered reservation of open spaces for parks and play grounds to be universally recognised as a legitimate exercise of 'statutory power rationally related to the protection of the residents of the locality from the ill-effects of urbanization and the impugned orders of the Government of Karnataka dated 27-5-1976 and 11-6-1976 and the consequent decision of the Bangalore Development Authority dated 14-7-1976 for conversion of land of Public Park for private nursing home were set aside.

9. In the peculiar facts and circumstances of the case and also inaction on the part of the concerned administrative officers despite pendency of the matter for more than one year, we consider the presence of the DM, Gautam Budh Nagar, the CEO, GNIDA and the Chief Town Planner, Gautam Budh Nagar before this Tribunal to be essential for producing the record as to when and in which manner encroachment was made on land reserved for green belt; whether the concerned officials submitted any report regarding such encroachment; whether any action was initiated for removal of such encroachment and what are the reasons for delay in taking of appropriate action for removal of the encroachments made on the land reserved for green belt. Accordingly they are directed to appear before this Tribunal physically on 12.01.2024.

List the matter for further consideration on 12.01.2024"

उपरोक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा समुचित कार्यवाही में विलम्ब के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 1151/एन0जी0टी0–64/23 दिनांक 15.12.2023 एवं पत्र सं0 1226/एन0जी0टी0–64/23 दिनांक 05.01.2024 के माध्यम से मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गयी है कि प्रश्नगत प्रकरण में वांछित कार्यवाही/अनुपालन हेतु जिला प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें, किन्तु इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा के पत्र दिनांक 02.01.2024 के क्रम में वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल–4), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.01.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड सं0 ए–1, नॉलेज पार्क–1 पर किये गये संयुक्त सर्वे के अनुसार भूखण्ड सं0 ए–1 पर किये गये निर्माण कार्य के द्वारा ग्रीन बेल्ट हेतु आरक्षित अविकसित क्षेत्र पर 253.00 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है तथा उक्त अतिक्रमण को हटाये/सीलिंग किये जाने की कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 04.01.2024 की छायाप्रति संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत ग्रीन बेल्ट हेतु आरक्षित अविकसित क्षेत्र पर पाये गये अतिक्रमण के विरूद्ध नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन की ओर से श्री अंकित कुमार, उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, गौतमबुद्धनगर (सम्पर्क नं0– 8299138374) को नामित किया जाता है। उक्त वाद में सुनवाई की अग्रिम तिथि 12.01.2024 नियत है।

संलग्नकः यथोपरि।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपिः

1. पुलिस आयुक्त, जनपद गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा समन्वय स्थापित किये जाने पर आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. उपजिलाधिकारी, तहसील सदर, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

11.1.24

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

Item No.02 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPALBENCH

(By Video Conferencing)

Original Application No. 908/2022

Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) …………Applicant

Versus

Ministry of Environment, Forest & Climate Change & Ors. ……….Respondents

Date of hearing: 09.01.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None.

Respondents: Mr. Shariq Ahmed Advocate for respondent No.1-MOEF&CC
Mr. Ravindra Kumar, Senior Advocate with Mr. Vipin Kumar Saxena and Mr. Binay Kumar Das Advocates for respondent No.4- GNIDA.
Mr. Daleep Dhyani, Advocate for respondent No.5-UPPCB
Mr. Divya Singhvi, Advocate for respondents No.7 to 9.
None for respondents No.2, 3 and 6.

Application under Section 18(1) read with Sections 14 and 15 of the National Green Tribunal Act, 2010.

ORDER

1. In compliance of order dated 11.09.2023, Mr. Ravi Kumar, CEO,GNIDA, Mr. Manish Kumar Verma, DM, Gautam Budh Nagar and Mr. D.K. Gupta, RO, UPPCB appeared before this Tribunal on 29.09.2023. The CEO, GNIDA and District Magistrate, Gautam Budh Nagar sought time to file Action Taken Report.
2. Report has been filed by the District Magistrate, Gautam Budh Nagar vide email dated 05.01.2024. In his report the District Magistrate, Gautam Budh Nagar has submitted that GNIDA had found encroachment on approximately 253 sqm. of undeveloped land reserved for green belt and action for removal of encroachment is to be taken by GNIDA.
3. No action taken report has been filed by the CEO, GNIDA.

4. Ld. counsel appearing for the State of Uttar Pradesh, the District Magistrate, Gautam Budh Nagar and the CEO, GNIDA seeks time for filing of action taken report by the CEO, GNIDA.
5. The matter was last heard on 29.09.2023 and the CEO, GNIDA was granted three months time for filing the action taken report.
6. Respondent No. 7 Mr. Rajendra Singh is stated to have died a few days back and it is stated that action for removal for encroachment could not be taken due to his death.
7. We find the explanation to be wholly unsatisfactory as the CEO, GNIDA was required to take action promptly immediately after passing of the order by this Tribunal in the month of September 2023. We find no justification for delay in taking of such action. We express our displeasure regarding unreasonable delay in taking appropriate action on the part of the CEO, GNIDA.
8. In **Bangalore Medical Trust v. B.S. Muddappa, (SC)1991(4) SCC 54Hon'ble Supreme Court** considered reservation of open spaces for parks and play grounds to be universally recognised as a legitimate exercise of 'statutory power rationally related to the protection of the residents of the locality from the ill-effects of urbanization and the impugned orders of the Government of Karnataka dated 27-5-1976 and 11-6-1976 and the consequent decision of the Bangalore Development Authority dated 14-7-1976 for conversion of land of Public Park for private nursing home were set aside.
9. In the peculiar facts and circumstances of the case and also inaction on the part of the concerned administrative officers despite pendency of the matter for more than one year, we consider the presence of the DM, Gautam Budh Nagar, the CEO, GNIDA and the Chief Town Planner, Gautam Budh Nagar before this Tribunal to be essential for producing the record as to when and in which manner encroachment was made on land reserved for green belt; whether the concerned officials submitted any report regarding such encroachment; whether any action was

initiated for removal of such encroachment and what are the reasons for delay in taking of appropriate action for removal of the encroachments made on the land reserved for green belt. Accordingly they are directed to appear before this Tribunal physically on 12.01.2024.

4. List the matter for further consideration on 12.01.2024.

5. A copy of this order be forwarded to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, the DM, Gautam Budh Nagar, the CEO, GNIDA and the Chief Town Planner, Gautam Budh Nagar by e-mail for requisite compliance with this order.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr.Afroz Ahmad, EM

January 9th, 2024
OA 908/2022

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 1226 / NGT-64/23 दिनांक : 5/1/24

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या–908/2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 1151/एन0जी0टी–64/2023 दिनांक 15.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–908/2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 के अनुपालन के अनुपालन हेतु प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, छायापति संलग्न।

ज्ञातव्य है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

........In compliance of order dated 11.09.2023 Mr. Ravi Kumar, CEO, GNIDA, Mr. Manish Kumar Verma, DM, Gautam Budh Nagar, Mr. D.K. Gupta, RO, UPPCB have appeared through VC and we have interacted with them and they have stated that after factual verification action will be taken in accordance with law.

The CEO, GNIDA and District Magistrate, Gautam Budh Nagar seek time to file Action Taken Report and learned Counsel for respondents no. 7 to 9 seeks time to file reply/response on their behalf.

List for further consideration on 09.01.2024"

उपरोक्त के अनुपालन हेतु आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में वांछित कार्यवाही/ अनुपालन हेतु जिला प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें तथा प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

07/1/24

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 1151/NGT-64/23 दिनांक : 15/12/23

उपजिलाधिकारी,
तहसील सदर,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या–908/2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु अतिरिक्त अपर महा अधिवक्ता/अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता को नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्र सं0 901/एन0जी0टी–64/2023 दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–908/2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 के अनुपालन में प्रतिवादी सं0 2 व 6 की ओर से प्रभावी पैरवी हेतु अतिरिक्त अपर महा अधिवक्ता/अन्य वरिष्ठ महा अधिवक्ता को नामित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव (न्याय), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

........In compliance of order dated 11.09.2023 Mr. Ravi Kumar, CEO, GNIDA, Mr. Manish Kumar Verma, DM, Gautam Budh Nagar, Mr. D.K. Gupta, RO, UPPCB have appeared through VC and we have interacted with them and they have stated that after factual verification action will be taken in accordance with law.

The CEO, GNIDA and District Magistrate, Gautam Budh Nagar seek time to file Action Taken Report and learned Counsel for respondents no. 7 to 9 seeks time to file reply/response on their behalf.

List for further consideration on 09.01.2024"

उपरोक्त के अनुपालन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अतिरिक्त अपर महा अधिवक्ता/अन्य वरिष्ठ महा अधिवक्ता से समन्वय स्थापित करते हुये अधोहस्ताक्षरी की ओर से शपथ–पत्र/एक्शन टेकन रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में मा0 अधिकरण को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

15/12/23

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव (न्याय), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत रिट याचिका में प्रभावी पैरवी हेतु नामित अतिरिक्त अपर महा अधिवक्ता/अन्य वरिष्ठ महा अधिवक्ता का नाम व सम्पर्क सूत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में वांछित कार्यवाही/अनुपालन हेतु जिला प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें तथा प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

Office of The District Magistrate, Gautam Budh Nagar

Ref: 1227 / NGT-64/23 **Date:** 5/1/24

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Status report in compliance of the order dated 29.09.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 908 of 2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Versus Ministry of Environment Forest & Climate Change & Ors.

Sir,

Please refer to the order passed by Hon'ble National Green Tribunal on dated 29.09.2023 in Original Application No. 908 of 2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Versus Ministry of Environment Forest & Climate Change & Ors., as per said order, it is directed to file response from District Magistrate, Gautam Budh Nagar in said matter. Accordingly, reply/response on behalf of State of U.P. is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely

Enclosure- As above

05/01/24

(Manish Kumar Verma)
District Megistrate
Gautam Buddh Nagar

Report

In

Original Application No. 908/2022

Sach Sewa Samiti Vyas (Trust)

Versus

Ministry of Environment Forest & Climate

Change & Ors.

<u>Order Date – 29.09.2023</u>

Filed on Behalf of:

District Magistrate

Gautambuddh Nagar (U.P.)

1. **Brief background**

In the matter of O.A. No. 908/2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Vs Ministry of Environment Forest & Climate Change & Ors., relevant paras of the order dated 29.09.2023 passed by Hon'ble NGT are reproduced below: -

"………9. The CEO, GNIDA and District Magistrate, Gautam Budh Nagar seek time to file Action Taken Report and learned Counsel for respondents no. 7 to 9 seeks time to file reply/response on their behalf.

10. Affidavit by the applicant, Action Taken Report by CEO, GNIDA and District Magistrate, Gautam Budh Nagar and Reply/response by respondents no. 7 to 9 be filed by within three months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

11. List for further consideration on 09.01.2024."

2. **Action taken report:**

- In compliance to the previous order dated 11.09.2023 passed by Hon'ble NGT in said matter, Compliance report regarding service of notices was submitted to Hon'ble Tribunal by District Magistrate vide letter no. 715/NGT O.A.- 908/NGT-64/2023, dated 21.09.2023, copy of same is annexed as **R-1.**

- As per averments made by petitioner, Greater Noida Industrial Development Authority has allotted plot no. A-1 with notified green area/belt falling between plot no. 12 and plot no. 22, a letter has been sent by District Magistrate vide letter no. 1151/NGT-64/23, dated 15.12.2023 to Chief Executive Officer, Greater Noida Industrial Development Authority for providing detailed report in this matter, Report is awaited, copy of same is annexed as **R-2**.
- In reference to the letter no. 1211/NGT-64/23, dated 02.01.2024 of Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Greater Noida, Greater Noida Industrial Development Authority has provided some information regarding encroachment on said green belt. According to which, encroachment was found on approx. 253 sqm on undeveloped land reserved for green belt and action to remove/ sealing of said encroachment is to be done by Greater Noida Industrial Authority, copy of same is annexed as **R-3**.

Status report is being submitted for kind perusal and necessary action please.

****

Ema

dmgbn

Reg.. Compliance Report of Order Dated 11-09-2023 Hon'ble Tribunal O.A. No. 908/2022 Sach Seva Samiti Vyas (Trust) Versus Ministry of Environment Forest & Climate change and Ors.

From : dmgbn <dmgbn@nic.in> Fri, Sep 22, 2023 02:08 PM

Subject : Reg.. Compliance Report of Order Dated 11-09-2023 Hon'ble Tribunal O.A. No. 908/2022 Sach Seva Samiti Vyas (Trust) Versus Ministry of Environment Forest & Climate change and Ors. 1 attachment

To : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Cc : rogreaternoida <rogreaternoida@uppcb.in>

Sir,

That in compliance of the orders dated 11.09.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No. 908/2022 Sach Seva Samiti Vyas (Trust) Versus Ministry of Environment Forest & Climate change and Ors., the Compliance Report is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal for perusal.

Encl: As Above.

Regards

DM GB Nagar

IMG_0001.pdf
3 MB

Office Of District Magistrate Gautam Buddha Nagar

Surajpur, Greater Noida

Ref No. : 715/NGT-OA-908/2023/NGT-64/2023 Date : 21/09/2023

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal
New Delhi

Subject: Compliance report in O.A. no. 908/2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Vs Ministry of Environment Forest & Climate Change & Ors.

Sir,

In compliance to the order dated 11.09.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application no. 908/2022 Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Vs Ministry of Environment Forest & Climate Change & Ors, Notices issued by Hon'ble Tribunal has been got received to Respondent no. 7 and 8, Copy of same is attached.

Further, it is pertinent to mention that No information was found at said address about respondent no. 9, namely Ms. Madhu Singh, D/o Mr. G.S. Kamboj, village- Makoda, District – Gautambuddh Nagar, U.P., a report of Sub-Divisional Magistrate, Tehsil -Sadar, Gautambuddh Nagar in this matter is hereby attached and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

ENCL: As above

Sincerely,

21/9/23

(Manish Kumar Verma)
District Magistrate
Gautambuddh Nagar,
U.P.

440.R.A 2023

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर गौतमबुद्धनगर

पत्रांक –5174 / एस0टी0--एस0डी0एम0 / 2023 दिनांक--20.09.2023

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
ग्रेटर नोएडा

विषय– मा0 हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–908 / 2022 सचसेवा समिति व्यास(ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में जारी नोटिस प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र सं0–56 / एन0जी0टी0–64 / 23 दिनांक 18.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–908 / 2022 सचसेवा समिति व्यास(ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 को विपक्षी सं0–7, 8 व 9 को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। विपक्षी सं0–8 व 9 को कई बार प्रयास के उपरान्त भी चिन्हित नही किया जा सका है। विपक्षी सं0–8 व 9 को नोटिस की प्रति राजस्व विभाग के माध्यम से प्राप्त कराये जाने हेतु आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध तहसीलदार सदर द्वारा प्रेषित जॉच आख्या दिनांक 20.09.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी सं0–8 श्रीमती स्वेतना पत्नी श्री मनोज सिंह को उनके घर पर नोटिस दस्ती प्राप्त करा दिया गया है, जिसकी प्राप्ति की प्रति संलग्न है। विपक्षी सं0 9 श्रीमती मधु सिंह पुत्री श्री जी0एस0 काम्बोज के विषय में गांव में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस नाम की किसी भी के गांव का निवासी न होने या गांव में निवास न करने के सम्बन्ध में पूर्व प्रधान श्री राजकुमार भाटी व एक अन्य ग्रामवासी श्री दीपांशु भाटी का लिखित बयान संलग्न है।

अतः तहसीलदार सदर की आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

20/09/23

उपजिलाधिकारी सदर,
गौतमबुद्धनगर।

Scanned with OKEN Scanner

महोदय,

कृपया क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा के पत्र संदर्भ संख्या 56/NGT-64/23 दिनांक 18.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 908/2022 सचसेवा समिति व्यास(ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में जारी नोटिस प्राप्त कराए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 8 व 9 को नोटिस की प्रति राजस्व विभाग के माध्यम से प्राप्त कराई जानी है। उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि विपक्षी संख्या 8 श्रीमती श्वेतना पत्नी मनोज सिंह को उनके घर पर नोटिस दस्ती प्राप्त करा दिया गया है जिसकी प्राप्ति की प्रति संलग्न है। विपक्षी संख्या 9 श्री मधु सिंह पुत्री श्री जी0एस0 काम्बोज के विषय गांव में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इस नाम की किसी भी भी के गांव का निवासी न होने या गांव में निवास न करने के संबंध में पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजकुमार भाटी व एक अन्य ग्रामवासी श्री दीपांशु भाटी का लिखित बयान संलग्न है। आख्या सादर सेवा में प्रस्तुत है।

20/04/2023
सुनील कुमार लेखपाल
तह0 व जि0 गौतमबुद्धनगर

महोदय,
लेखपाल की आख्या प्रेषित है।
20/4/2023

1

"BY EMAIL"

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 908 OF 2022
Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Vs.
Ministry of Environment Forest & Climate Change & Ors.

To

1. Mr Rajinder Singh
   Son of Ms Mehtab Singh
   Resident of Village Makoda,
   District Gautam Budha Nagar,U.P. (RESPONDENT NO.7)
2. Ms Shwetna
   Wife of Mr Manoj Singh
   Resident of Village Makoda,
   District Gautam Budha Nagar,U.P. (RESPONDENT NO.8)
3. Ms Madhu Singh
   Daughter of Mr G.S. Kamboj
   Resident of Village Makoda,
   District Gautam Budha Nagar,U.P. (RESPONDENT NO.9)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 17.03.2023 (copy of order and petition are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

> "3. In the present case, Mr. Rajinder Singh Son of Ms. Mehtab Singh, Ms. Shwetna Wife of Mr. Manoj Singh and Ms. Madhu Singh Daughter of Mr. G.S. Kamboj all residents of village Makoda, District Gautam Budha Nagar, Uttar Pradesh are alleged to have encroached upon the greenbelt area. In view of the averments made in the application and attending facts and circumstances, the presence of the above said persons is necessary for just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are impleaded as respondents no. 7, 8 and 9. The applicant is directed to file amended memo of parties within two weeks accordingly.
>
> 4. Notice be served on respondents no. 7, 8 and 9 through the District Magistrate, Gautam Budh Nagar and for this purpose notices issued to the respondents no. 7, 8 and 9 be sent to the District Magistrate, Gautam Budh Nagar by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.
>
> 5. List for further consideration on 17.05.2023."

नोटिस को प्रति प्राप्त की।
19/09/2023

******

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 17th May, 2023, at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file responses/replies, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 17.03.2023.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 05th April, 2023.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

5/4/2023

Consultant (Judicial), NGT

NATIONAL GREEN TRIBUNAL

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-4259329

सन्दर्भ संख्या : 86 /NGT-64/23 दिनांक : 18/4/23

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
तहसील- सदर,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 908/2022 सचरोवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में जारी नोटिस प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 908/2022 सचरोवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 को विपक्षी सं0 7, 8 एवं 9 को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है तथा प्राप्त कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय को ई-मेल किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। विपक्षी सं0 7 को इस कार्यालय द्वारा नोटिस दिनांक 12.04.2023 को प्राप्त करा दिया गया है। विपक्षी सं0 8 एवं 9 को कई बार प्रयास के उपरान्त भी चिन्हित नहीं किया जा सका है।

अतः उक्त नोटिस संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विपक्षी सं0-8 एवं 9 को नोटिस की प्रति राजस्व विभाग के माध्यम से प्राप्त कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा नोटिस प्राप्ति की सूचना से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई तिथि दिनांक 17.05.2023 नियत है।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(राधेश्याम) 18/4/23
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः
1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

राजकुमार भाटी (राजू)

प्रधान ग्राम पंचायत मकोडा

विकास खण्ड बिसरख, जिला-गौतमबुद्धनगर (उ.प्र.)

मो. : 9899251200
9811424392

क्र. :

दिनांक : 21/07/23

श्रीमान,

NGT नई दिल्ली

मूल प्रार्थना पत्र सं 908/2022

सच्चसेवा सोसायटी न्यास (ट्रस्ट) ब नाम मिनिस्ट्री आफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एण्ड क्लाइमेट चेंज एवं अन्य मे प्रतिवादी सं० 9 श्रीमती मधु सिंह पुत्री श्री जी० एस० काम्बोज नि० ग्राम मकौडा जिला, गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०) को जारी नोटिस दिनांक 17/03/23 के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि प्रतिवादी सं० 9 श्रीमती मधु सिंह पुत्री जी० एस० काम्बोज ग्राम मकौडा गौतमबुद्धनगर मे वर्तमान मे निवास नही कर रही है तथा पूर्व मे भी उक्त नाम की कोई महिला ग्राम मकौडा मे निवासित रही है

(Signature) [illegible]
ग्राम प्रधान (बिसरख)
गौतमबुद्धनगर [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

 "BY EMAIL "

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 908 OF 2022
Sach Sewa Samiti Vyas (Trust) Vs.
Ministry of Environment Forest & Climate Change & Ors.

To

1. **Mr Rajinder Singh**
   Son of Ms Mehtab Singh
   Resident of Village Makoda,
   District Gautam Budha Nagar, U.P. (RESPONDENT NO.7)
2. **Ms Shwetna**
   Wife of Mr Manoj Singh
   Resident of Village Makoda,
   District Gautam Budha Nagar, U.P. (RESPONDENT NO.8)
3. **Ms Madhu Singh**
   Daughter of Mr G.S. Kamboj
   Resident of Village Makoda,
   District Gautam Budha Nagar, U.P. (RESPONDENT NO.9)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 17.03.2023 (copy of order and petition are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

> **"3. In the present case, Mr. Rajinder Singh Son of Ms. Mehtab Singh, Ms. Shwetna Wife of Mr. Manoj Singh and Ms. Madhu Singh Daughter of Mr. G.S. Kamboj all residents of village Makoda, District Gautam Budha Nagar, Uttar Pradesh are alleged to have encroached upon the greenbelt area. In view of the averments made in the application and attending facts and circumstances, the presence of the above said persons is necessary for just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are impleaded as respondents no. 7, 8 and 9. The applicant is directed to file amended memo of parties within two weeks accordingly.**
> **4. Notice be served on respondents no. 7, 8 and 9 through the District Magistrate, Gautam Budh Nagar and for this purpose notices issued to the respondents no. 7, 8 and 9 be sent to the District Magistrate, Gautam Budh Nagar by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.**
> **5. List for further consideration on 17.05.2023."**

-******-

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 17th May, 2023, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file responses/replies, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 17.03.2023.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 05th April, 2023.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

5/4/2023

Consultant (Judicial), NGT

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi

Annexure- R2

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 1151/NGT-64/23 दिनांक : 15/12/23

उपजिलाधिकारी,
तहसील सदर,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या–908/2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु अतिरिक्त अपर महा अधिवक्ता/अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता को नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्र सं0 901/एन0जी0टी–64/2023 दिनांक 20.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या–908/2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 के अनुपालन में प्रतिवादी सं0 2 व 6 की ओर से प्रभावी पैरवी हेतु अतिरिक्त अपर महा अधिवक्ता/अन्य वरिष्ठ महा अधिवक्ता को नामित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव (न्याय), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं–

........In compliance of order dated 11.09.2023 Mr. Ravi Kumar, CEO, GNIDA, Mr. Manish Kumar Verma, DM, Gautam Budh Nagar, Mr. D.K. Gupta, RO, UPPCB have appeared through VC and we have interacted with them and they have stated that after factual verification action will be taken in accordance with law.

The CEO, GNIDA and District Magistrate, Gautam Budh Nagar seek time to file Action Taken Report and learned Counsel for respondents no. 7 to 9 seeks time to file reply/response on their behalf.

List for further consideration on 09.01.2024"

उपरोक्त के अनुपालन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अतिरिक्त अपर महा अधिवक्ता/अन्य वरिष्ठ महा अधिवक्ता से समन्वय स्थापित करते हुये अधोहस्ताक्षरी की ओर से शपथ–पत्र/एक्शन टेकन रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में मा0 अधिकरण को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

15/12/23

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव (न्याय), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत रिट याचिका में प्रभावी पैरवी हेतु नामित अतिरिक्त अपर महा अधिवक्ता/अन्य वरिष्ठ महा अधिवक्ता का नाम व सम्पर्क सूत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में वांछित कार्यवाही/अनुपालन हेतु जिला प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें तथा प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड सं0–01 सैक्टर के0पी0–4,ग्रेटर नौएडा, जिला– गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0
Website: www.greaternoidaauthority.in **Email id: authority@gnida.in**

F.T.S. :-

पत्रांकः–पी.आर.जे. / वर्क सर्किल–4 / 2024 / 595 दिनांक 04/01/2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा,
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्पलेक्स,
सैक्टर बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ0 प्र0 ।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 908 / 2022 सच सेवा समिति व्यास (ट्रस्ट) बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्रांकः 1211 / NGT / 23 दिनांक 02.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 908 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 का अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रश्नगत प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा मा0 अधिकरण को प्रेषित शिकायत में ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण होने का उल्लेख किया गया है, जिसके सम्बन्ध में बिन्दुवार वांछित सूचनाओं पर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त विभागीय आख्या निम्नवत है–

क्र0	**उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा द्वारा वांछित सूचना**	**सम्बन्धित विभागों से प्राप्त विभागीय आख्या**
1.	प्लाट नं0 ए–1, जोकि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित है, उक्त स्थल पर किये गये निर्माण हेतु प्राधिकरण द्वारा कोई मैप स्वीकृत किया गया है अथवा नही, यदि हॉ तो उक्त मानचित्र की सत्यापित प्रति ।	प्रकरण में नियोजन विभाग द्वारा प्रेषित पत्रांकः नियो0 / एफ. टी.एस.–1933 दिनांक 04.01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पत्रांक 2023 / 294 दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से कृषक आवंटी को सन्दर्भित भूखण्ड के मानचित्र स्वीकृति / अधिभोग प्रपत्र प्राधिकरण में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । आवंटी द्वारा प्रस्तुत प्रति उत्तर दिनांक 03.10.2023 में स्वीकृत मानचित्र / अधिभोग प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कोई प्रपत्र प्राधिकरण में उपलब्ध नही करवाये गये । दिनांक 12.10.2023 को आवंटी के प्रतिउत्तर के संदर्भ में विचार विमर्श करने हेतु महाप्रबन्धक (नियो0 / वास्तु0), महाप्रबन्धक (परियोजना), विशेष कार्याधिकारी (भूलेख), वरिष्ठ प्रबन्धक(उद्यान), प्रभारी (विधि) सदस्यों की बैठक आहुत की गई व आवंटी को प्राधिकरण में बैठक के समक्ष उपस्थिति होने के लिए पत्रांकः 2023 / 296 दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से सूचित किया गया । आवंटी प्राधिकरण में बैठक के समक्ष उपस्थित हुए परन्तु आवंटी द्वारा मानचित्र स्वीकति / अधिभोग के संबन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये । मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित कोई अभिलेख नियोजन विभाग में भी उपलब्ध नही है ।
2.	प्लाट नं0 ए–1, पर किये गये निर्माण से ग्रीन बेल्ट पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है अथवा नही, यदि हॉ तो उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु प्रस्ताव / कियान्वयन कार्यक्रम ।	प्रकरण में उद्यान विभाग द्वारा प्रेषित पत्रांकः उप निदेशक / प्रभारी / उद्यान / 2023–24 / 2944 / 1879 दिनांक 04.01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भूखण्ड सं0 ए–1 सैक्टर नॉलेज पार्क–1 पर किये गये संयुक्त सर्वे के अनुसार भूखण्ड सं0 ए–1 पर किये गये निर्माण कार्य के द्वारा ग्रीन बैल्ट हेतु आरक्षित अविकसित क्षेत्र पर 253.00 वर्गमी0 भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है ।

		उक्त अतिकमण को हटाये/सीलिंग किये जाने की कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।
3.	प्लॉट नं0 ए–1 पर व्यवसायिक गतिविधियॉं यथा रेस्टोरेन्ट/सर्विस स्टेशन/होटल/दुकान आदि अनुमन्य हैं अथवा नही ।	प्रकरण में नियोजन विभाग द्वारा प्रेषित पत्रांकः नियो0/एफ. टी.एस.–1933 दिनांक 04.01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भवन विनियमावली (यथा संशोधित) के प्रस्तर 28.5 में 6 प्रतिशत आबादी भूखण्डों पर 50 प्रतिशत की ग्राउंड कवरेज की सीमा तक कुछ वाणिज्यिक गतिविधियां 45 मी0 चौडी रोड तक ही अनुमन्य हैं । संदर्भित प्रकरण में भूखण्ड 80 मी0 चौडी रोड पर स्थित है । अतः उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां अनुमन्य नही हैं ।
4.	प्लॉट नं0 ए–1 पर प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति प्रदान की जा रही है अथवा नही ।	प्रकरण में वर्क सर्किल–जल द्वारा अपने पत्रांकः जल/2024/06 दिनांक 04.01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्लॉट नं0 ए–1, सैक्टर नॉलेज पार्क–01 के सामने जलापूर्ति लाईन बिछी हुई है, परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड पर प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति कनैक्शन नही दिया गया है ।
5.	प्लॉट नं0 ए–1 से जनित उत्प्रवाह के सीवर लाइन में निस्तारण हेतु अनुमति प्रदान की गयी है ।	प्रकरण में वर्क सर्किल–सीवर द्वारा अपने पत्रांकः प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल–सीवर/2024/2426 दिनांक 04.01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्लॉट नं0 ए–1, सैक्टर नॉलेज पार्क–1 में वर्तमान तक प्राधिकरण द्वारा सीवर निस्तारण हेतु कोई अनुमति एवं सीवर संयोजन नही दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार संकलित सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

04.01.24

(नागेन्द्र सिंह)
वरि0 प्रबन्धक–वर्क सर्किल–4

प्रतिलिपि :–

- स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी0/एल0) महोदय के संज्ञानार्थ।
- विशेष कार्याधिकारी/महाप्रबन्धक (परि0) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- वरिष्ठ प्रबन्धक (नियो0), प्रभारी–उद्यान, जल एवं सीवर को उपलब्ध कराई गयी आख्या के कम में ।
- प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- गार्ड फाईल।

वरि0 प्रबन्धक–वर्क सर्किल–4